न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 80/2013

(1) मृतक श्याम सुन्दर पुत्र जुगल किशोर जरिये वैधानिक प्रतिनिधिगण
(1/1) सीमा खत्री पत्नी श्याम सुन्दर
(1/2) सोनाली
(1/3) मनीष | पुत्र एवं पुत्रियां श्याम सुन्दर
(1/4) मानसी
(1/5) शकुन्तलादेवी पत्नी जुगल किशोर
सभी की जाति खत्री एवं निवासी कुम्हारों का मौहल्ला, गोस्वामी चौक, बीकानेर – अपीलान्ट्स

बनाम

(1) श्रीमती केशरदेवी बेवा भंवरसिंह
(2) शिवलालसिंह
(3) शम्भूसिंह
(4) जीवराजसिंह | जाति राजपूत निवासी शोभासर तहसील
(5) मेघसिंह | बीकानेर जिला बीकानेर
(6) लक्ष्मणसिंह
(7) सादुलसिंह

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

4. श्री राजेश बैद – अपीलार्थी की ओर से
5. श्री राजेन्द्रसिंह शिमला – रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से
6. श्री दामोदर दास व्यास – पैरोकारराज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12–09–2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 मु0 कोलायत की आज्ञा दिनांक 03–03–2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 720 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के हक में स्वीकृत कर दिया गया।

(2) बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई एवं रिकार्ड का गौर से अध्ययन किया गया।

(3) योग्य अभिभाषक अपीलार्थीगण ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम शोभासर उपनिवेशन तहसील, गजनेर मु0 कोलायत स्थित खेत खसरा

नम्बर 211 तादादी 7 बीघा जिसके एकीकरण में नवीन खसरा नम्बर 350 तादादी 1.75 हैक्टेयर कायम हुए। जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07–01–1992 को अपीलार्थीगण के पति/पिता/पुत्र श्याम सुन्दर ने क्रय की थी तथा इस खरीद के आधार पर इन्तकाल संख्या 686 श्यामसुन्दर अपीलार्थी के नाम तहसीलदार ने दिनांक 20–06–2008 को स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार जमीन जैर अपील का मालिक काबिज खातेदार काश्तकार श्यामसुन्दर अपीलार्थी हो गया। अपीलार्थी श्यामसुन्दर की अपील के विचाराधीन रहते हुए मृत्यु हो गई तथा उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया गया। अपीलार्थीगण के योग्य अभिभाषक का अभिकथन है कि सन 2006 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग को कानासर वितरिका का और आगे निर्माण करने हेतु जमीन की आवश्यकता हुई, तो खातेदारों की जमीनों को अवाप्त किया गया जिसमें अपीलार्थीगण की खसरा नम्बर 211 की 7 बीघा में से 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि शामिल थी लेकिन तहसील से प्रेषित खातेदारों की सूची में अपीलार्थीगण की जमीन को वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 (विक्रेतागण के वारिसान) के नाम होनी बताते हुए रिपोर्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी को कर दी। इस आधार पर उनका नाम भूमि अवाप्ति एवं अवार्ड में आ गया तथा इस बिनाय पर अपीलार्थीगण की खसरा नम्बर 211 की अवाप्ति से शेष रही 12 बिस्वा भूमि का आक्षेपित इन्तकाल रेस्पोडेन्ट के नाम सत्यापित कर दिया जबकि भंवरसिंह पूर्व खातेदार द्वारा श्यामसुन्दर पंजीकृत बैयनामे से सन 1992 में भूमि विक्रय कर दी थी तथा विक्रय कर देने के पश्चात विक्रेता एवं उनके वारिसान का कोई हक व हिस्सा भूमि जैर अपील में नहीं रहा। ऐसी स्थिति में इन्तकाल संख्या 720 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 स्वीकृत करना मिसल रिकार्ड व कानून के खिलाफ होने से अवैध हैं और निरस्तनीय हैं। उन्होंनें अपनी बहस में बताया कि जब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 686 दिनांक 20–06–2008 को मृतक श्यामसुन्दर के नाम विधिवत रूप से तस्दीक हो गया था, तो इन्तकाल संख्या 686 को बिना निरस्त करवाये इन्तकाल संख्या 720 रेस्पोडेन्टगण के नाम खोला ही नहीं जा सकता था। तमाम राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी, पर्चा खतौनी, पासबुक इत्यादि में मृतक श्यामसुन्दर खातेदार के रूप में अंकित है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया इन्तकाल त्रुटिपूर्ण है।

(4) इस बहस के विरोध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मृतक श्यामसुन्दर को सन 1992 में विक्रय की गई भूमि मोरूसी जायदाद होने से अकेले भंवरसिंह को उक्त भूमि को विक्रय

करने का कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं था। अपीलार्थीगण उनकी भूमि में घुसना चाहते है जबकि उनका कोई अधिकार प्रश्नगत भूमि में नहीं है। यदि फिर भी वे अपना अधिकार विवादित भूमि में मानते हैं, तो उन्हें दावा लेकर आना चाहिये।

(5) प्रतिउत्तर बहस में योग्य अभिभाषक अपीलार्थीगण ने बताया कि इन्तकाल संख्या 686 दिनांक 20–06–2008 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने एक अपील उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर की अदालत में प्रस्तुत की जो उनके निर्णय दिनांक 14–09–2009 को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई। इस निर्णय को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में द्वितीय अपील के रूप में विवादित किया गया। जहां वाद ट्रायल अपील दिनांक 21–05–2013 को खारिज कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को यथावत बनाये रखने का आदेश दिया गया। इसके अलावा अपीलार्थीगण के योग्य अभिभाषक की यह भी बहस है कि रेस्पोडेन्ट के लायक वकील अपीलार्थीगण को दावे में जाने का सुझाव दे रहे है लेकिन खुद वे इस भूमि का वाद लेकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के सम्मुख गये थे, तो न्यायालय ने बाद सुनवाई उनका दावा खारिज कर दिया और अपीलार्थीगण की खरीद को विधिसम्मत मानते हुए उसके आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण न्यायसंगत होने का निर्णय दिया गया, तो अब वाद में जाने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता है। अपनी बहस के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 03–03–2009 निरस्त करने का निवेदन किया है।

(6) हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का शुरू से अन्त तक ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। घटनाक्रम के तथा रिकार्ड के परिसीलन से यह तो प्रतिस्थापित हो चुका है कि मृतक श्यामसुन्दर जो अपीलार्थीगण के पति/पिता/पुत्र है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के मालिक एवं काबिज काश्तकार खातेदार बना, जिसके हक में इन्तकाल संख्या 686 दिनांक 20–06–2008 विधिक रूप से तस्दीक किया गया था लेकिन बाद में तहसील द्वारा बनाये गये गलत रिकार्ड व उसके आधार पर अवार्ड में वर्तमान में उत्तरवादियों का नाम आने के आधार पर इन्तकाल संख्या 720 तस्दीक किया जाना अविधिक है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता और न ही पोषणीय है। न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर एवं सहायक आयुक्त

उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के निर्णय क्रमशः दिनांक 14–09–2009 व 21–05–2013 व 18–07–2012 के प्रभाव में रहते हुए अपीलार्थीगण की अपील साधिकार रूप से प्रस्तुत हुई है जिसमें बल है और इस आधार पर स्वीकार योग्य पाते है।

(7) परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण विरूद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाती है तथा आज्ञा उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 मु0 कोलायत द्वारा पारित नामान्तरणकरण स0 720 दिनांक 03–03–2009 (हाल उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत) विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12–09–2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0ए0च0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर